

2025/471

फर्द अहकाम
(नियम 15)

निकपि
08-7-2025

न्यायालय सहायक वलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
प्रमोद कुमार बनाम ताराचन्द आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 328 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
20.06.2025	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिफपी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को गरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 04.07.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">ॐ</p>	
07.7.2025	<p>वकील वादी ने पत्रावली - पत्र निकाल पेशी पेश करते पर पत्रावली को पेशी के निकाला व कुलाए फरिश्तेन उपरिधारा वादी व उकीरकी श. व. ने हासिल कराकर राजीनामा पेश किया जिसे काउ तस्वीक शिमिल फरदिल किया। पत्रावली वास्ते स्टेट लखण आर्टिकल तारीफ 07.7.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">ॐ</p>	
07.7.2025	<p>कुलाए फरिश्तेन उपरिधारा स्टेट लखण पूरुह उशी व हक सुनी गरी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का पेशी पेशी वादी के राजीनामा से आचार पर वाद वादी डिफ्री किया जाला है। सर्व विनाय साहित निर्णय अलग से लिखा जाकर साहित फरदिल किया जाके। पत्रावली गम्ह से काम की जाकर काउ तस्वीक तस्वीक जाका दाखिल हफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">ॐ</p>	

प्रमोद
96ym
D

फरिश्तेन
हेसराज

